



नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

खान एवं परिशोधन संकुल, दामनजोड़ी

कोरापुट, ओडिशा - 763 008

विज्ञापन सं: M&R/03/2021

दिनांक: 16/10/2021

नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (नालको), एक नवरत्न कंपनी, एशिया की सबसे बड़ी एकीकृत एल्यूमिनाएल्यूमिनियम संकुल है, जिसमें उन्नत प्रौद्योगिकी है, जिसका वर्तमान में कुल आय लगभग रु. 8870 करोड़ है। कंपनी भारत एवं विश्व भर में अत्यधिक विकास एवं वितार के लिए अग्रसर है। कंपनी को नियोजित के क्षेत्र में प्रीमियर ट्रेडिंग हाउस का दर्जा भी प्राप्त है जिसने अपने हितधारकों के महत्वपूर्ण मूल्यवर्धन सहित उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कई प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं। कंपनी का निगम कार्यालय भुवनेश्वर, ओडिशा होने के साथ संयंत्र और कार्यालय बहु-स्थानीय हैं। कंपनी सक्षम मानव संसाधनों और "लोक केंद्रित" दृष्टिकोण वाले अभ्यासों के माध्यम से संगठनात्मक उत्कृष्टता प्राप्त करने में विश्वास करती है।

धातु और ऊर्जा क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित वैश्विक कंपनी होने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु, खान एवं परिशोधन संकुल, नालको, दामनजोड़ी, निम्नलिखित अनुशासन और पद के लिए प्रतिबद्ध, होनहार और परिणाम उन्मुख अभ्यर्थियों की तलाश में है:

ए. पदों का विवरण

| क्र. सं. | पद | रिक्तियों की संख्या | अपेक्षित योग्यता | अनुभव (वर्ष में) | प्रेरण स्तर | अधिकतम आयु सीमा (वर्ष में) |
|----------|-------------------------------|--|---|---|---|----------------------------|
| 1 | एसयूपीटी (एचईएमएम प्रचालक) | 04 (अना.- 02, अ.जा.-01, अ.ज.जा.-01) | किसी भी ट्रेड में (एनसीटी वीटी/एससीटीई एंड वीटी), आईटीआई के साथ एचएससी उत्तीर्ण होना चाहिए। भारी वाहन ड्राइविंग लाइसेन्स अपेक्षित है। वैध फर्स्ट ऐड सर्टिफिकेट वांछनीय है जो प्रशिक्षण के दौरान आवश्यक रूप से प्राप्त करना चाहिए जो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। | अनुभव की आवश्यकता नहीं | टी 0 श्रेणी स्थानन से पूर्व 12 माह के लिए एसयूपीटी और फिर जेओटी 18 माह के लिए | 27 वर्ष (28/02/2021 तक) |
| 2 | जेओटी (एचईएमएम प्रचालक) | 04 (अना.- 03 अनु.जा.-01) | **नालको से एसयूपीटी एवं ईओएटी प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी। | **नालको से एसयूपीटी एवं ईओएटी प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी। | टी 0 श्रेणी कार्यस्थल से पूर्व 18 माह के लिए जेओटी | -- |

** नालको से एसयूपीटी एवं ईओएटी प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी को अधिकतम आयु सीमा और चिकित्सा परीक्षा से मुक्त रखा जाएगा।

बी. महत्वपूर्ण टिप्पणी

1. उपरोक्त उपयोग की गई संक्षिप्तता अ.जा. (अनुसूचित जाति), अ.पि.व. (अन्य पिछड़ा वर्ग), आ.क.व. (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग), अना. (अनारक्षित), अ.ज.जा.(अनुसूचित जन जाति), भू.पू.सै. (भूत पूर्व सैनिक) के लिए है।
2. योग्यता केंद्रीय / राज्य सरकार (जहां भी लागू हो) द्वारा स्थापित यूजीसी / एआईसीटीई / एनसीटीवीटी / एससीटीई और बीटी जैसे निकायों / संस्थानों द्वारा मान्यता प्राप्त / मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होनी चाहिए। केवल पूर्णकालिक नियमित पाठ्यक्रम पर विचार किया जाएगा। इसमें न्यूनतम आवश्यक योग्यता, कॉलम के तहत मैट्रिक / समकक्ष शामिल होगा।
3. ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने ऊपर उद्धृत निर्धारित अर्हता, अनुभव, आयु इत्यादि आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक अथवा उससे पहले प्राप्त नहीं की है, आवेदन न करें।
4. अभ्यर्थियों के पास वैध रोजगार विनिमय पंजीकरण कार्ड होना चाहिए।
5. यदि वांछित प्रशिक्षण/अनुभव के साथ जेओटी (एचईएमएम प्रचालक) श्रेणी में पर्याप्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं, तो कमी संख्या को एसयूपीटी (एचईएमएम प्रचालक) रिक्ति में जोड़ा जा सकता है और तदनुसार भरा जा सकता है।

सी. परिलब्धियाँ एवं अन्य लाभ

जहां तक कंपनी लागत (कोस्ट टू कंपनी) की बात है, कंपनी विकास पर केंद्रित एक पेशेवर प्रबंधित संस्थान है जिसमें योग्यता-उन्मुख उन्नति के अवसर के साथ कंपनी धन और सुविधाओं के रूप में एक शानदार पैकेज प्रदान करती है:

- ❖ एसयूपीटी (जेओटी) / = के पद के लिए चुने गए अभ्यर्थी :
 - i. स्किल अपग्रेडेशन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (जेओटी / एसोटी) पद के लिए चयनित अभ्यर्थियों को 12 महीने की अवधि के लिए, ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग से गुजरना होगा। प्रशिक्षण अवधि के दौरान, उन्हें प्रतिमाह 12000/- का वजीफा दिया जाएगा।
 - ii. एसयूपीटी के एक वर्ष के सफल समापन के बाद, जूनियर ऑपरेटिव ट्रेनी (जेओटी) / सीनियर ऑपरेटिव ट्रेनी (एसओटी) को 18 महीने की अवधि के लिए शामिल किया जाएगा। प्रशिक्षण अवधि के दौरान, उन्हें पहले 12 महीनों के लिए रु. 15000/- प्रतिमाह और शेष छ: माह के प्रशिक्षण के लिए रु. 15500/- प्रति माह का वजीफा दिया जाएगा।
 - iii. प्रशिक्षण की अवधि के दौरान वे केवल नालको अस्पताल में स्वयं के लिए चिकित्सा सुविधा (कंपनी के अंदर व बाहर) प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे।
 - iv. सफल प्रशिक्षण पूरा होने पर, उन्हें टी 0 ग्रेड में नियमित रोजगार में स्थानन के लिए रु. 29500-3% -70000/- के वेतनमान के साथ-साथ नियमित कर्मचारियों के लिए लागू सभी परिलब्धियों के लिए भी शामिल कर लिया जाएगा।
 - v. कंपनी के नियमों के अनुसार अन्य लाभ भी लागू होंगे।

❖ एसयूपीटी (जेओटी) / = के पद के लिए चुने गए अभ्यर्थी :

- i. जूनियर ऑपरेटिव ट्रेनी (JOT) को 18 महीने की अवधि के लिए इंडक्शन किया जाएगा। प्रशिक्षण अवधि के दौरान, उन्हें पहले 12 महीनों के लिए 15000/- रुपये प्रति माह और शेष महीनों के प्रशिक्षण के लिए 15500/- रुपये प्रति माह का भगतान किया जाएगा।

- ii. प्रशिक्षण की अवधि के दौरान वे केवल नालको अस्पताल में स्वयं के लिए चिकित्सा सुविधा (इनडोर और आउटडोर) प्राप्त करने के पात्र होंगे।
- iii. सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने पर, उन्हें नियमित कर्मचारियों के लिए लागू सभी परिलब्धियों के साथ 29500-3%-70000/- रुपये के वे तामान के साथ टी0 ग्रेड में नियमित रोजगार में नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा।
- iv. कंपनी के नियमों के अनुसार अन्य लाभ भी लागू होंगे।

डी. चयन प्रक्रिया

- i. इस विज्ञापन में निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार आवेदनों की जांच की जाएगी और पात्र अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को योग्यता के क्रम में ट्रेड टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।
- ii. अभ्यर्थियों के चयन को क्रमशः 60% और 40% के वेटेज लिखित परीक्षा और ट्रेड टेस्ट के माध्यम से चुना जाएगा।
- iii. लिखित परीक्षा और / या ट्रेड टेस्ट में प्रदर्शन के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन, संगठनात्मक आवश्यकता, अनुशासन और सरकार के आरक्षण संबंधी निर्देशों के अनुरूप किया जाएगा।
- iv. विज्ञापित विनिर्देश को पूरा करने से उम्मीदवार को लिखित/ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाए, यह जरूरी नहीं है। मूल्यांकन के लिए अभ्यर्थियों की संख्या को सीमित करने के लिए योग्यता और/या अनुभव के मानक को ध्यान में रखकर प्रबंधन न्यूनतम पात्रता मानकों/मानदंड को बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

ई. चिकित्सा योग्यता

कंपनी में अभ्यर्थी का अंतिम चयन, जिस पद के लिए उसका चयन हुआ है, कंपनी के चिकित्सा अधिकारी/ बोर्ड द्वारा चिकित्सा जांच में सफल होने के आधार पर किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों के चिकित्सा जांच के लिए जहां कंपनी का कोई चिकित्सा अधिकारी नहीं है, वहाँ एक अनुमोदित सरकारी अस्पताल/मेडिकल बोर्ड द्वारा चिकित्सा परीक्षा आयोजित की जाएगी। कंपनी द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

एफ. स्थानन

परिवीक्षा अवधि के दौरान और/ या समाविष्ट के बाद, चयनित अभ्यर्थियों को नालको मे, भारत या विदेश या कहीं भी सहायक / संयुक्त उपक्रम/नालको के व्यावसायिक सहयोगियों में स्थानन व संस्थान की आवश्यकता के अनुसार स्थानांतरण किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों को कंपनी की आवश्यकताओं के अनुसार उनके क्षेत्र से संबंधित सेवा / कार्य / जिम्मेदारी सौंपे जा सकते हैं, जिसमें शिफ्ट ऑपरेशन भी शामिल है।

जी. आरक्षण एवं छूट

- ❖ अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमी लेयर) / आकव/ दिव्यांग(विकलांगता की डिग्री 40% या अधिक) या भूतपूर्व-सैनिक अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण/छूट, सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार लागू होती है। कुल पदों की संख्या में वृद्धि या कमी के मामले में, आरक्षित श्रेणी के पदों की संख्या सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार अलग-अलग होगी।
- ❖ दिव्यांग/ भूतपूर्व सैनिक (ईएसएम) के लिए आरक्षण प्रचलित नियमों के अनुसार क्षैतिज आधार पर होगा। यदि ईएसएम के लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए उपयुक्त ईएसएम अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हैं, तो ईएसएम के अलावा अन्य अभ्यर्थियों द्वारा भी भरा जाएगा।

- ❖ आकव श्रेणी के अभ्यर्थी अनारक्षित पदों के लिए भी आवेदन कर सकती है, बशर्ते वे यूआर श्रेणी के लिए निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों।
- ❖ दिव्यांग के लिए लागू आरक्षण / रियायतों के लाभ का दावा करने के लिए, अभ्यर्थियों को भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 591 (ई) दिनांक 15.06.2017, दिव्यांग नियम, 2017 के नियमों के अध्याय- VII (नियम -17 से नियम -20) के प्रावधानों के अनुसार विकलांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थियों को इस उद्देश्य के लिए दिव्यांग के लिए विशेष रोजगार विनिमय से संलग्न चिकित्सा बोर्ड अथवा सरकारी अस्पताल के 3 चिकित्सकों के पैनल द्वारा हस्ताक्षरित व मोहर लगा वैध दिव्यांग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- ❖ कार्य, स्थान आदि के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की प्रकृति पर विचार करने के बाद दिव्यांग अभ्यर्थियों को कुछ रिक्तियों की नियुक्ति की पेशकश की जाएगी और यह भी विचार किया जाएगा कि उनकी असमर्थता उनके प्रदर्शन के आड़े नहीं नहीं आए व उनके स्वास्थ्य को भी नुकसान न पहुंचे। यद्यपि अंतिम नियुक्ति और स्थानन अभ्यर्थी केद्वारा उस चिन्हित पद के संबंध में चिकित्सा योग्यता के आधार पर किया जाएगा जिसके लिए उनका चयन हुआ है।
- ❖ अजा/ अजजा / अपिव/ दिव्यांग/ भूतपूर्व सैनिक / आकव की श्रेणी एक बार ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरने के बाद नहीं बदला जाएगा। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के समय, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी भारत सरकार के निर्धारित प्रारूप में अपेक्षित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होता है।
- ❖ यदि अजा/ अजजा / अपिव/ दिव्यांग/ पूर्व सैनिक / आकव प्रमाण पत्र अंग्रेजी / हिंदी के अलावा अन्य भाषा में जारी किए गए हैं, तो अभ्यर्थियों को अंग्रेजी या हिंदी दोनों में से एक की स्व-प्रमाणित प्रति जमा करनी होगी।
- ❖ अपिव अभ्यर्थी जो "क्रीमी लेयर" से संबंधित हैं, अपिव श्रेणी के लिए स्वीकार्य रियायत के हकदार नहीं हैं और ऐसे अभ्यर्थियों को अपनी श्रेणी को अनारक्षित (यूआर) के रूप में इंगित करना होगा। अपिव (नॉन-क्रीमी लेयर) अभ्यर्थियों को वर्तमान वित्तीय वर्ष में जारी एक सक्षम प्राधिकृत से भारत सरकार के निर्धारित प्रारूप में अपेक्षित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना है। अन्य पिछड़ा वर्ग की केंद्रीय सूची में अपिव (नॉन-क्रीमी लेयर) प्रमाण पत्र में इंगित जाति और समुदाय का नाम दिखाई देना चाहिए। इसके अलावा, अपिव अभ्यर्थियों को यह कहते हुए एक स्व-अभिवचन देना होगा कि वे लिखित परीक्षा के समय अपिव (नॉन-क्रीमी लेयर) श्रेणी के हैं, यदि उन्हें बुलाया जाता है।
- ❖ आकव अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अपेक्षित आय और संपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।
- ❖ अजा/ अजजा के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष, अपिव(गैर-क्रीमी लेयर) के लिए 3 वर्ष, पीडब्ल्यूडी-अनारक्षित (अना) के लिए 10 वर्ष, पीडब्ल्यूडी-अपिव (गैर-क्रीमी लेयर) के लिए 13 वर्ष की छूट दी गई है और पीडब्ल्यूडी-अजा/ अजजा अभ्यर्थियों के लिए 15 वर्ष है। हालांकि, दिव्यांग अभ्यर्थियों के संबंध में अधिकतम ऊपरी आयु सीमा 56 वर्ष है।
- ❖ पाँच वर्ष की आयु में छूट उन अभ्यर्थियों तक पहुंचाई जाएगी, जिन्हें सामान्य रूप से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 01.01.1980 से 31.12.1989 तक निर्वासित किया गया था। 1984 के दंगों में मारे गए लोगों /पूर्व सैनिकों और बच्चों / परिवार के सदस्यों को भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार छूट मिलेगी।
- ❖ उन भूमि प्रभावित व्यक्तियों के मामले में जिनकी भूमि दामनजोड़ी में नालको परियोजना के लिए अधिग्रहित की गई है और उनके पास राज्य सरकार के भूमि अधिग्रहण अधिकारियों द्वारा स्वयं या माता-पिता या दादा-दादी के नाम पर जारी प्रासंगिक प्रमाण पत्र है, पर विचार किया जा सकता है, बशर्ते कि वह / वह योग्यता, अनुभव और आयु मानदंड को पूरा करती है। विज्ञापन में उल्लिखित ऑनलाइन आवेदन समाप्ति तिथि और अंतिम तिथि के अनुसार भूमि प्रभावित व्यक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष है। भूमि प्रभावित अभ्यर्थियों को सरकारी प्राधिकृतों द्वारा जारी भूमि के दस्तावेजों सहित सभी सहायक

दस्तावेजों को प्रस्तुत करना आवश्यक है जिसमें कानूनी वारिस/ उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र, 50/-रुपये के गैर-न्यायिक स्टांप पेपर, जो कार्यकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष शपथ पत्र के माध्यम से नीचे दिए गए हैं, माध्यम से अभ्यर्थी द्वारा नामित प्रत्याशी और भूमि के बीच संबंध और प्रत्याशी दिखाने की घोषणा, निर्धारित प्रारूप के अनुसार, यह सुनिश्चित करता है कि कौन सा अभ्यर्थी विचार योग्य है, शामिल है। दूसरी ओर, यदि अभ्यर्थी द्वारा सौंपे गए गए दस्तावेज़ अथवा घोषणा अथवा दी गई सूचना गलत अथवा किसी भी स्तर पर असत्य पाया जाता है अथवा तथ्यों को दबाने की बात सामने आती है तो उम्मीदवारी को बिना किसी सूचना या कारण बताए समाप्त कर दिया जाएगा।

❖ एच. आवेदन शुल्क

1. सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क के लिए केवल रु.100/- (एक सौ रुपये) का भुगतान करना होगा।
2. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / दिव्यांग/ भूतपूर्व सैनिक / भूमि प्रभावित उम्मीदवारों से कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा।
3. अभ्यर्थी समर्पित बैंक खाते, नेट बैंकिंग या डेबिट/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान करने का विकल्प चुन सकते हैं। शुल्क किसी अन्य माध्यम द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।
4. आवेदन शुल्क / पंजीकरण शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापिस नहीं किए जाएंगे। इसलिए अभ्यर्थियों से अनुरोध किया जाता है कि वे आवेदन / पंजीकरण शुल्क का भुगतान करने से पहले अपनी पात्रता को सत्यापित करें और भुगतान विवरण को ध्यान से भरें।
5. आवेदन के लिए निर्धारित अंतिम तिथि में आवेदन करने के दौरान आनेवाली अवरोधों से बचने के लिए, अभ्यर्थियों को अग्रिम में अच्छी तरह से आवेदन करने की सलाह दी जाती है।

आई. भुगतान कैसे करें

चरण 1:

- www.nalcoindia.com पर नालको के करियर पृष्ठ पर जाएं
- पात्रता के बारे में सुनिश्चित करने के लिए विज्ञापन को ध्यान से पढ़ें।
- पात्र होने पर "ऑनलाइन अप्लीकेशन" लिंक पर क्लिक करें और फिर भुगतान के लिए "मेक पेमेंट" पर क्लिक करें।

चरण 2:

- लिंक आपको भारतीय स्टेट बैंक के स्टेट बैंक कलेक्ट पृष्ठ पर पुनर्निर्देशित कर देगा, जिसे नालको की ओर से आवेदन शुल्क / प्रक्रिया शुल्क लेने के लिए अधिकृत किया गया है।
- कॉर्पोरेट/ संस्थान के राज्य के तहत "ओडिशा" का चयन करें और कॉर्पोरेट / संस्थान के प्रकार के तहत "पीएसयू-सार्वजनिक क्षेत्र" चुनें।
- भुगतान श्रेणी का चयन करें और "नालको रिक्रूटमेंट फॉर एचईएमएम प्रचालक" चुनें

भुगतान पोर्टल पर आवश्यकतानुसार नाम, अनुशासन, श्रेणी, जन्म तिथि, पंजीकृत ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर भरें। सुनिश्चित करें कि पूरे पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान एक ही ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर विवरण का उपयोग किया गया है।

- अभ्यर्थी द्वारा दर्ज किए गए सभी विवरणों के साथ अगला स्क्रीन-पुष्टि पृष्ठ प्रदर्शित किया जाता है। भुगतान के लिए आगे बढ़ने से पहले सत्यता सुनिश्चित करें। भुगतान करने के लिए भुगतान गेटवे पर आगे बढ़ने के लिए अब "कंफर्म" पर क्लिक करें। यदि कोई अभ्यर्थी गलत विवरण के साथ शुल्क जमा करता है, तो नालको या एसबीआई जिम्मेदार नहीं होगा।

- उपलब्ध विकल्प जैसे कि नेट बैंकिंग / डेबिट कार्ड में से किसी का उपयोग करके भुगतान किया जा सकता है। कृपया ध्यान दें कि नालको बैंक शुल्क वहन करेगा (यदि कोई हो, तो)।

- सफल भुगतान होने पर, पीडीएफ प्रारूप में एक ई-रसीद उत्पन्न की जाएगी। अभ्यर्थियों को एसबीआई संदर्भ संख्या के साथ ई-रसीद प्रिंट करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। संदर्भ संख्या को नोट करें क्योंकि अंतिम पंजीकरण प्रक्रिया के चरण -3 के दौरान इसकी आवश्यकता होगी। स्टेट बैंक कलेक्शन में उपलब्ध विकल्प "पेमेंट हिस्ट्री" से ई-रसीद को बाद में बनाया / प्रिंट किया जा सकता है।

- यदि कोई अभ्यर्थी अंतिम रूप से वैध भुगतान विवरण के साथ आवेदन पत्र जमा नहीं करता है, तो आवेदन को अपूर्ण और अस्वीकृत माना जाएगा। नालको इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

चरण 3:

- भुगतान होने के बाद स्वयं को योग्य बनाने हेतु वेबसाइट के कैरियर पृष्ठ पर नालको ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म में अपेक्षित स्टेट बैंक कलेक्ट रेफरेंस नंबर और भुगतान की तारीख को भरना होगा।

- गलत विवरण प्रस्तुत करने के मामलों में भुगतान विवरणों के संपादन और बुलावा पत्र जारी करने का कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा और उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

जे. आवेदन कैसे करें

- ❖ अभ्यर्थियों को नालको वेबसाइट (www.nalcoindia.com) के कैरियर सेक्शन में ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें। यदि ऑनलाइन आवेदन सफलतापूर्वक पूरा नहीं हुआ है, तो अभ्यर्थी को फिर से पंजीकरण करना आवश्यक है। किसी अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा और सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।
- ❖ ऑनलाइन आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने के बाद, अभ्यर्थी द्वारा दर्ज किए गए किसी भी डेटा में परिवर्तन के संबंध में कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- ❖ ऑनलाइन आवेदन करते समय, अभ्यर्थी को अपने हाल के पासपोर्ट आकार के रंगीन छायाचित्र और हस्ताक्षर की स्कैन प्रति अपलोड करनी होगी।
- ❖ यदि अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाता है, तो उसे ऑन-लाइन आवेदन पत्र में उल्लिखित मूल प्रमाण पत्र और अन्य संबंधित दस्तावेजों का लाना/दिखाना होगा।
- ❖ डाउनलोड किए गए आवेदन (हार्ड कॉपी) के साथ अपने ऑन-लाइन आवेदन में अभ्यर्थी द्वारा दी गई जानकारी के समर्थन में सभी दस्तावेजों की स्व-सत्यापित छायाप्रति सहित पूर्ण आवेदन डाक द्वारा "भर्ती प्रकोष्ठ, खान एवं परिशोधन संकुल, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, दामनजोड़ी, कोरापुट-763008, ओडिशा" में दिनांक 30/11/2021 (अपराह्न 5 बजे) तक पहुंचना चाहिए।

- आवेदन को निर्धारित तिथि और समय के भीतर अपनी आयु, योग्यता, अनुभव, वेतनमान / मासिक वेतन / सी टीईई सी, आदि के समर्थन में सभी दस्तावेजों की स्व-सत्यापित प्रति के साथ निर्धारित पते पर पहुंचाना होगा।
 - आवेदन की केवल सॉफ्ट कॉपी पर विचार नहीं किया जाएगा और यदि आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी अन्य आवश्यक दस्तावेजों की स्व-सत्यापित प्रति के साथ निर्धारित तिथि के भीतर प्राप्त नहीं हुई हैं, तो उसे सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।
 - आवेदन की हार्ड कॉपी भेजते समय बंद लिफाफे के ऊपर आवेदन करने वाले पद का नाम, लिखा जाना चाहिए और केवल डाक के माध्यम से भेजा जाना चाहिए।
 - हाथ द्वारा कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं होगा।
- ❖ अभ्यर्थी द्वारा सिस्टम ट्रुटि के कारण या किसी अन्य कारणों से अंतिम तिथि के भीतर अपना ऑनलाइन आवेदन जमा नहीं करने पर नालको जिम्मेदार नहीं होगा।
- ❖ एक अभ्यर्थी से केवल एक पद के लिए आवेदन स्वीकार किया जाएगा।
- ❖ केवल भारतीय नागरिक आवेदन करने के पात्र हैं।

के. सामान्य निर्देश

- अ. अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह इस विज्ञापन में उल्लिखित पात्रता मानदंड और अन्य शर्तों को पूरा करता/ करती है। आवेदन जमा करने या विज्ञापित विनिर्देश को पूरा करने से पद के लिए अभ्यर्थियों की पात्रता का हक नहीं बनता है। यदि वह (अभ्यर्थी) भर्ती / चयन / नियुक्ति के किसी भी चरण में दोषपूर्ण पाया जाता है अथवा अभ्यर्थी पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता है और / अथवा उसने कोई गलत जानकारी दी है अथवा किसी भी तथ्य को छुपा लिया है तो/उसकी उम्मीदवारी / नियुक्ति स्वतः रूप से रद्द कर दी जाएगी, और उम्मीदवारी / नियुक्ति को शून्य माना जाएगा।
- आ. आवेदन पत्र में उल्लिखित ई-मेल आईडी एक वर्ष के लिए वैध होनी चाहिए। अभ्यर्थियों के साथ भविष्य के सभी संचार केवल ई-मेल के माध्यम से होंगे। अमान्य / गलत आईडी के कारण या किसी अन्य कारण से ई-मेल / भेजे गए किसी अन्य संचार के किसी भी नुकसान / गैर-वितरण के लिए नालको जिम्मेदार नहीं होगा।
- इ. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे नालको की वेबसाइट www.nalcoindia.com के करियर सेक्शन में नियमित रूप से नवीनतम अद्यतन के लिए जाएं क्योंकि कोई अलग से संदेश नहीं भेजा जाएगा।
- ई. पीएसयू / किसी भी सरकार में काम करने वाले अभ्यर्थी को आम तौर पर उचित माध्यम से आवेदन करना चाहिए या लिखित परीक्षा के समय अनापत्ति प्रमाणपत्र देना चाहिए। हालांकि, इस संबंध में असफल होने की स्थिति में, अभ्यर्थी को केवल परीक्षा में बैठने की अनुमति होगी।
- उ. अभ्यर्थी द्वारा बुलाव पत्र के साथ मूल और वैध फोटो पहचान के साथ प्रस्तुत नहीं करने पर उसे लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- ऊ. यदि उम्मीदवार को ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, तो उसे सत्यापन के लिए मूल प्रति के साथ निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत करना होगा:
- जन्म तिथि के प्रमाण के समर्थन में दस्तावेज (वैधानिक अधिकारियों द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र या दस्तावेज कक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र / अंक तालिका)।
 - भारत सरकार के निर्धारित सक्षम प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए निर्धारित प्रारूप में नवीनतम जाति / जनजाति प्रमाण पत्र [अजा/ अजजा / अपिव(एनसीएल) / आकव अभ्यर्थियों के लिए लागू]।
 - सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए निर्धारित प्रारूप में दिव्यांग प्रमाण पत्र और

- iv. भूतपूर्व सैनिक होने का साक्ष्य (भूतपूर्व सैनिक के मामले में)।

v. योग्यता के संबंध में सभी प्रमाण पत्र/प्रशंसापत्र (मैट्रिक के बाद से शुरू होने वाले सभी सेमेस्टर / वर्ष वार अंकतालिका)।

vi. वैध भारी वाहन ड्राइविंग लाइसेंस।

vii. आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा उल्लिखित अनुभव के समर्थन में पूर्ण दस्तावेज।

कृ. नालको न्यूनतम पात्रता मानकों को बढ़ाने का अधिकार रखता है। प्रबंधन बिना किसी कारण बताए उपरोक्त पदों में से किसी को भरने या नहीं भरने का अधिकार सुरक्षित रखता है। नालको के पास भर्ती प्रक्रिया को रद्द/ प्रतिबंधित/ संशोधित/परिवर्तित करने का अधिकार भी है। इसके साथ ही आवश्यकता होने पर बिना कसी आगामी सूचना अथवा बिना कसी कारण बताए विज्ञापित पद को बढ़ाने/ घटाने का भी अधिकार सुरक्षित है।

ल. किसी भी रूप में एक अभ्यर्थी द्वारा प्रचार करना उसकी उम्मीदवारी को अयोग्य घोषित करेगा।

ए. उक्त भर्ती के संबंध में कोई भी विवाद केवल भुवनेश्वर के क्षेत्राधिकार के भीतर ही निपटाया जाएगा।

ऐ. पात्र अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के लिए बुलाने पर उन्हें ई-भुगतान माध्यम से सबसे छोटे मार्ग से द्वितीय श्रेणी के रेल/बस किराया की प्रतिपूर्ति की जाएगी। इसके लिए शर्त यह है कि अभ्यर्थी के अपने ऑनलाइन आवेदन में दिए गए संचार पते से परीक्षा केंद्र की दूरी 30 कि.मी. से अधिक होनी चाहिए। किराए की प्रतिपूर्ति के लिए अभ्यर्थी को मूल रेलवे टिकट/नंबर या बस टिकट सौंपना होगा। इस प्रयोजन के लिए अभ्यर्थी को अपने बैंक पासबुक की एक स्व-सत्यापित प्रति प्रस्तुत करने होगा जिसमें आईएफसी कूट हो। यात्रा भत्ता की प्रतिपूर्ति के उद्देश्य से बाद के चरण में संचार पते में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। यात्रा भत्ता की प्रतिपूर्ति केवल उन अभ्यर्थियों के लिए की जाएगी जिन्हें अंत में लिखित परीक्षा की अनुमति होगी। दूसरे शब्दों में, यदि लिखित परीक्षा के दौरान दस्तावेज क्रम में नहीं हैं / लिखित परीक्षा की तिथि को किसी भी कारण से अयोग्य घोषित किया गया है, तो कोई यात्रा भत्ता की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी। उपरोक्त उद्देश्य के लिए यात्रा / ठहरने के लिए कोई अन्य भत्ता स्वीकार्य नहीं किया जाएगा।

एल. घोषणा

(केवल खान एवं परिशोधन संकुल, नालको, दामनजोड़ी के भूमि प्रभावित व्यक्तियों के लिए)

(केवल 50 / - रुपये का गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर)

मैं, श्री/ सुश्री , पुत्र/ पुत्री, , गाँव , डाक खाना,
 पुलिस थाना, जिला घोषणा करता/करती हूँ कि

1. हमारी भूमि की माप----- दशमलव जो मेरे नाम अथवा मेरे -----के नाम पर है, निम्नलिखित भूखंड / खाता / मौजा में है , नालको ने कोरापुट जिले में अपनी परियोजना के लिए अधिगृहीत कर लिया है। सभी संबन्धित सौंपे गए सहायक कागजात / दस्तावेजों संदर्भ के लिए यहाँ प्रस्तुत किया जाता है। मैं प्रभावित परिवार के सदस्य परिवार /विस्तृत परिवार से ताल्लुक रखता हूँ और चल चल रही भर्ती प्रक्रिया के लिए आयु छूट की सुविधा लेने के लिए नामित किया गया हूँ।

2. ऊपर दी गई जानकारी सत्य और सही है। यदि दी गई जानकारी या प्रस्तुत किए गए दस्तावेज असत्य और गलत पाया जाता है तो मुझे किसी भी समय बिना किसी कारण बताए नालको द्वारा मेरे प्रशिक्षण / सेवा को समाप्त कर दिया जाएगा।

(अभ्यर्थी का पूर्ण हस्ताक्षर)

मैं/ हम एतद द्वारा श्री / सुश्री पुत्र/ पुत्री/ पत्नी..... गांव
 डाक खाना पुलिस थाना, जिला को ---- पद हेतु चल रही
 भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत आयु छूट की सुविधा लेने के लिए हमारे विस्तृत परिवार के एक सदस्य के रूप में भूमि की
 उपरोक्त अनुसूची के माध्यम से नामित करते हैं।

भूमि प्रभावित व्यक्ति के प्रति हस्ताक्षर

(मृत्यु के मामले में, कानून उत्तराधिकारी को प्रमाण पत्र के साथ हस्ताक्षर करना चाहिए)

नाम _____
 स्थान _____
 दिनांक _____

एम . महत्वपूर्ण तिथि

| | |
|--|-----------------------|
| ऑनलाइन आवेदन जमा करने की प्रारम्भिक तिथि | 16/10/2021 |
| ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि | 22/11/2021 (05.00 PM) |
| आवेदन अपेक्षित दस्तावेज़ सहित हार्ड प्रति में प्राप्त करने की अंतिम तिथि | 30/11/2021 (05.00 PM) |

नोट : किसी भी विवाद की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण ही अंतिम व मान्य होगा।
